रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डੀ.एल.-अ.-21032020-218845 CG-DL-E-21032020-218845

### असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1069]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 21, 2020/चैत्र 1, 1941

No. 10691

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 21, 2020/CHAITRA 1, 1941

## उपभोक्ता मामले. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2020

**का.आ. 1197(अ).**—केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड-19 वायरस से होने वाले संक्रमण (इंफेक्शन) की रोकथाम के लिए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मास्क, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) के उत्पादन में कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इस आदेश को मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों का निर्धारण आदेश, 2020 कहा जाएगा।
  - (2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- (1) मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक की खुदरा कीमतें दिनांक 13.03.2020 से एक माह पहले की तारीख अर्थात् दिनांक 12.02.2020 को प्रचलित कीमतों से अधिक नहीं होंगी।
- (2) मास्क (3 प्लाई सर्जिकल मास्क) की खुदरा कीमतें दिनांक 13.03.2020 से एक माह पहले की तारीख अर्थात दिनांक 12,02,2020 को प्रचलित कीमतों अथवा 10 रुपये प्रति मास्क, जो भी कम हो, और मास्क (2 प्लाई) की खुदरा कीमतें 8 रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होंगी।

1575 GI/2020 (1)

- (3) हैंड सैनिटाइजर की कीमतें 200 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल के लिए रुपये 100/- से अधिक नहीं होंगी, हैंड सैनिटाइजर की अन्य मात्रा के लिए कीमतें इन कीमतों के यथानुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएंगी।
- 3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दिनांक 30 जून, 2020 तक की अविध के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एस-26(1)/2020-ईसीआरएंडई] अवधेश कमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार

### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st March, 2020

- **S.O. 1197(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section 2A and section 3, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the prices of masks (2ply & 3ply), the Melt Blown non-Woven Fabric used as raw material in production of masks, masks (2ply & 3ply) and hand sanitizers for preventing infections due to COVID-19 virus namely:—
- 1. (1) This order may be called the fixation of prices of masks (2ply & 3ply), Melt Blown non-Woven Fabric and hand sanitizers Order, 2020.
  - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. (1) The retail prices of Melt Blown non-Woven Fabric used in manufacturing masks (2ply & 3ply), shall not be more than the prices prevailing on the day one month prior to 13.03.2020 i.e. the prices prevailing on 12.02.2020.
- (2) The retail prices of masks (3ply surgical mask), shall not be more than the prices prevailing on the day one month prior to 13.03.2020 i.e. as on 12.02.2020 or not more than Rs.10 per piece whichever is lower and that of mask (2ply) shall not be more than Rs.8 per piece.
- (3) The retail prices of hand sanitizer shall not be more than Rs.100/- per bottle of 200ml the prices of other quantities of hand sanitizers shall be fixed in the proportion of these prices.
- 3. This Notification shall remain in force for a period upto 30<sup>th</sup> June, 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-26/1/2020-ECR&E]

A.K. CHOUDHARY, Economic Adviser